उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग–1

संख्याः 2713/9–आ–1–11विविध/97

लखनऊः दिनांक 7 जून, 1997

"शुद्धि पत्र"

नियोजित विकास तथा आवास निर्माण के सम्बन्ध में विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु उद्योग बन्धु की भांति गठित निर्माण बन्धु से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या 429/9–आ–1–97 दिनांक 5 फरवरी 1997 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए निम्न व्यवस्था की जाती है :–

(1) पूर्व में गठित ''निर्माण बन्धु'' के स्थान पर ''आवास बन्धु'' होगा।

(2) आवास बन्धु की एक उच्च स्तरीय कार्यकारिणी समिति होगी जिसका गठन निम्नवत् होगा :–

(1)	मा0 आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
(1ए)	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव आवास, उत्तर प्रदेश शासन	संयोजक–सचिव
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
(5)	प्रमुख सचिव/सचिव, उर्जा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
(7)	प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
(8)	शासन द्वारा नामित नगर निगम का एक मेयर	सदस्य
(9)	शासन द्वारा नामित दो विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष	सदस्य
(10)	शासन द्वारा नामित एक बिल्डर	सदस्य
(11)	शासन द्वारा नामित एक आर्कीटेक्ट	सदस्य
(12)	शासन द्वारा नामित एक व्यक्ति, जिसका आवास एवं नगरीय विकास या सम्बन्धित क्षेत्र में विशेष योगदान रहा हो।	सदस्य

(3) आवास बन्धु में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में अधिशासी निदेशक पदनाम के अधिकारी की सेवायें उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) आवास बन्धु का कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार होगा :–

(क) आवास क्षेत्र में पूंजी निवेश को प्रात्साहन

(ख) बड़े प्रोजेक्ट के क्लीयरेन्स के लिये एक सिंगल विन्डो के रूप में उपलब्धता, जिसमें उद्योग बन्धु की भांति सम्बन्धित विभागों के एक साथ बैठक कर क्लीयरेन्स जा सके।

(ग) विकास प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्र के पूंजी निवेशकों को मार्गदर्शन प्रदान करना।

(घ) निजी क्षेत्र की संस्थाओं और व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करना।

(च) आवास सेक्टर के विभिन्न बिन्दुओं पर पालिसी पेपर आदि बनाना एवं प्रशिक्षण, कार्यक्रम आयोजित करना।

(छ) निजी क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें प्रतिवेदक, विकास प्राधिकरण और आवास बन्धु के प्रतिनिधि होगें। इस प्रकार की बैठकें एक निश्चित अवधि पर कम से कम माह में एक बार अवश्य होगी।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्याः 2713(1)/9–आ–1–11 विविध/1997 तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3. आवास आयुक्त,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन/नगर विकास/राजस्व/वित्त/संस्थागत वित्त/उर्जा विभाग।
6. समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. आवास एवं नगर विकास विभाग के समस्त अधिकारी और अनुभाग अधिकारी।
8. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

रामवृप्रसाद
संयुक्त सचिव